फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 08/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/11) **मम्मू खां बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2022	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री सावन श्रीमाली - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश संख्या क्रमांक/राजस्व/12-12(34) 02/1406 दिनांक 24.11.2003** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 13.12.2022 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश संख्या क्रमांक/राजस्व/12-12(34) 02/1406 दिनांक 24.11.2003 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • इस न्यायालय के पूर्व बाजदायरी प्रकरण संख्या 09/2021 में हुए निर्णय दिनांक 26.07.2021 के विरूद्ध आवेदक मम्मू खां द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी क्रमांक 3804/2021 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.09.2021 से स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का बाजदायरी प्ररकण संख्या 09/2021 निर्णय दिनांक 26.07.2021 को अपास्त कर दिया गया। उक्त माननीय मण्डल के आदेश दिनांक 02.09.2021 की पालना में प्रकरण को दर्ज किया गया। • इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12-12(34) 02/1406 दिनांक 24.11.2003 से चित्तौड़गढ़ में स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर के खातेदारी की भूमि मानकर अपीलांट के खातेदारी व कब्जे की आराजीयात 2894 से 2907 से बेदखल कर नायब तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को कब्जा दिलाये जाने से अप्रसन्न एवं व्यथित पक्षकार होने से अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। उक्त अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी संलग्न किया। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सावन श्रीमाली उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 16.11.2022 को सुनी गई। उक्त प्रकरण में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पूर्व में लिखित बहस प्रस्तुत की गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है** कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को समझे, रेकार्ड की पुरी जानकारी किये तथा अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना यह आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। न्याय समायत एवं सदायता के सिद्धांतों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 08/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/11) **मम्मू खां बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करने से पूर्व उसको सुना जाना अनिवार्य है। अपीलांट के कब्जे वाली आराजीयात मूर्ति मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के खातेदारी की न होकर माफी की है। उक्त भूमि खडम पुजारियों की थी, जिसे हमने खरीदी और काबिज हुए जिसको लगभग 40 वर्ष हो गये है। इस प्रकार खडमदार पुजारी होने से उन्होनें इस आराजीयात को बेचकर कब्जा दिया जिसे रखने के हम पुरे अधिकारी है। उक्त आराजीयात श्री लक्ष्मीनाथ जी के खुदकाश्त की नही थी अपितु वे लगान लेने के अधिकारी माफीदार थे। सन् 1963 में माफीया रिज्यूम हो जाने से माफीदार को लगान के बजाय जुर्सत (एन्यूटि) मिलने लगी और लगान राज्य सरकार लेने लगी। इस प्रकार मंदिर मूर्ति लक्ष्मीनाथ जी का इन आराजीयात से कोई संबंध नही है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित अन्य भूमियों के संबंध में सक्षम न्यायालयों द्वारा कई आदेश पारित किये जानकार खडमदारों को भूमि बेचने के अधिकार होना माना गया, जिसमें अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी इन आदेशों की पुष्टि की गई है। इन आदेशों के विषयवस्तु भी अपीलार्थी की विषयवस्तु के समान होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश खारिज फरमाया जावें।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। राजकीय पेरोकार द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत AIR 2021 Supreme Court 4245, State of Madhya Pradesh vs. Pujari Uttam Avam Kalyan Samiti प्रस्तुत किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस मय लिखित बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। साथ प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया।

अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का संलग्न किया, जिस पर मनन उपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है और न्यायहित हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अब हम अपील में अपीलाण्ट द्वारा वर्णित उजरात के विवेचन व बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बरूए गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में वस्तुतः जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश संख्या क्रमांक/राजस्व/12-12(34)02/1406 दिनांक 24.11.2003 से चित्तौड़गढ़ में स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर के खातेदारी की भूमि मानकर अपीलांट के खातेदारी व कब्जे की आराजीयात 2894 से 2907 से बेदखल कर नायब तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को कब्जा दिलाये जाने से अप्रसन्न एवं व्यथित पक्षकार होने से अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अपीलाण्ट द्वारा जो प्रमुख आधार/उजरात लिये गये हैं, वो यह है कि अपीलांट के कब्जे वाली आराजीयात मूर्ति मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के खातेदारी की न होकर माफी की है। उक्त भूमि खडम पुजारियों की थी, जिसे हमने खरीदी और काबिज हुए जिसको लगभग 40 वर्ष हो गये है। इस प्रकार खडमदार पुजारी होने से उन्होनें इस आराजीयात को बेचकर कब्जा दिया जिसे रखने के हम पुरे अधिकारी है तथा उक्त आराजीयात लक्ष्मीनाथ जी के खुदकाश्त की नही थी अपितु वे लगान लेने के अधिकारी माफीदार थे। सन् 1963 में माफीया रिज्यूम हो जाने से माफीदार को लगान के बजाय जुर्सत (एन्यूटि) मिलने लगी और लगान राज्य सरकार लेने लगी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 08/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/11) **मम्मू खां बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इस प्रकार मंदिर मूर्ति लक्ष्मीनाथ जी का इन आराजीयात से कोई संबंध नही है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में प्रकरण के संबंध में बराबर शिकायते प्राप्त होकर उक्त मंदिर की भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अनाधिकृत कब्जे कर भूमि के स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है, भूमि को विक्रय कर दी गई है। इन शिकायतों के मद्देनजर मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी स्थान देह की कुलिया भूमि खातेदारी की जांच एवं मौके की स्थिति का विवरण मय राजस्व रेकार्ड के अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से मंगवाया गया। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक 1150 दिनांक 22.11.2003 से प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि प्रतिवेदन में वर्णित टेबल नम्बर 2 के बिन्दु संख्या 2 के क्रम संख्या 1 व 3 पर अंकित व्यक्ति पुजारी की हैसियत से काबिज है व क्रम संख्या 2 पर अंकित भूमि नायब तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के रिसीवरी में है, शेष व्यक्ति अवैध रूप से काबिज है। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उक्त मंदिर की कुलिया भूमि महाराणा प्रताप सेतू एवं आबादी क्षेत्र से लगी हुई होना बताते हुए उक्त भूमि काफी कीमती होना अंकित किया है तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992 में मंदिरों के नाम दर्ज भूमि में से पुजारियों के नाम हटाये जाने के आदेश की पालना में उक्त भूमियों से पुजारियों के नाम हटा कर जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 के खाता संख्या 680 पर श्री लक्ष्मीनाथ जी स्थान देह खातेदार के नाम कुल किता 34 कुल रकबा 11.58 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है। मेवाड़ स्टेट की जमाबंदी मौजा चित्तौड़गढ़ संवत् 1986 में विवादित आराजीयात खाता 337 में लक्ष्मीनाथजी के नाम दर्ज है। इस प्रकार मेवाड़ स्टेट, गत भू-प्रबंध, हाल भू-प्रबंध तथा राजस्व रेकार्ड में सभी आराजीयात लक्ष्मीनाथ जी स्थान देह की खातेदारी दर्ज रेकार्ड रही है एवं वर्तमान में खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। यह न्यायालय पाता है कि तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि श्री लक्ष्मीनाथ जी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है, जो उचित है। अतएवं उक्त उजरात/आधार समायत योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि श्री लक्ष्मीनाथ जी स्थान देह के नाम दर्ज उक्त भूमि मेवाड स्टेट गत भू-प्रबंध, वर्तमान भू-प्रबंध तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में लक्ष्मीनाथ जी स्थान देह के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड रही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में वर्णित उक्त कुलिया भूमि में से टेबल नम्बर 2 बिन्दु संख्या 2 पर अंकित कुल किता 8 कुल रकबा 1.94 हैक्टेयर भूमि न्यायालय के आदेश अनुसार नायब तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ की रिसीवरी में है, के अलावा सभी काबिज व्यक्ति मंदिर भूमि पर अवैधानिक रूप से काबिज है।

उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में आलौच्य आदेश की मूल अपील प्रथमतया राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष मय स्थगन प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गई थी। तत्पश्चात उक्त अपील क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने उपरान्त इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई थी। राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपीलार्थी द्वारा स्थगन पर बहस प्रस्तुत की गई जिस निर्णय दिनांक 06.08.2004 से स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा एक निगरानी संख्या निगरानी/एलआर/5032/04/चित्तौड़गढ़ माननीय राजस्व मण्डल समक्ष प्रस्तुत की जिसमें निर्णय दिनांक 11.11.2013 से उक्त निगरानी खारिज की गई। उक्त निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा वर्णन किया गया कि ''यदि प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया जावें तो प्रार्थी की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 08/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/11) **मम्मू खां बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्थिति विवादग्रस्त आराजी पर एक अतिक्रमी की है। जब तक प्रार्थी विवादग्रस्त आराजी पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर देवें तब तक वह किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।'' यह स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि करती है कि कुलिया भूमि में से टेबल नम्बर 2 बिन्दु संख्या 2 पर अंकित कुल किता 8 कुल रकबा 1.94 हैक्टेयर भूमि न्यायालय के आदेश अनुसार नायब तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ की रिसीवरी में है, के अलावा सभी काबिज व्यक्ति मंदिर भूमि पर अवैधानिक रूप से काबिज है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी उक्त भूमि पर अवैधानिक रूप से काबिज है। यह स्पष्ट है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है एवं मंदिर मूर्ति की भूमि एवं संपत्ति को सुरक्षित रखने एवं उसका उचित प्रबंध करने का दायित्व राज्य सरकार का है। भूमि मेवाड़ स्टेट से लगाकर वर्तमान तक मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील नम्बर 147/1997 निर्णय दिनांक 07 नवम्बर, 1997 मांगीलाल वगैराह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पैरा संख्या 13 में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है:- "It is the obligation/function of the state to look after the welfare of the deity being a person may be juristic may be a person on account of fiction of law but incapable to protect its interest being a perpetual minor and disabled physically (vide(12) Ramlal vs. Board of Revenue 1990 (1) RLR161(DB)" इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय AIR 2021 Supreme Court 4245, State of Madhya Pradesh vs. Pujari Uttam Avam Kalyan Samiti में प्रतिपादित किया है कि "Prist is not either Muafidar or Inamdar within the meaning of S. 158(1)(b) – Since priest cannot be treated to be Bhuiswami, they have no right which could be protected under any of provisions of the Code. " विधिक स्थिति यह है कि मूर्ति शाश्वत की भूमि किसी अन्य के नाम हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। यदि मंदिर की भूमि पर कोई व्यक्ति कृषि करता है या करता आ रहा है। वह मूर्ति द्वारा की कृषि करना माना जावेगा। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर उन्मूलन अधिनियम, 1952 की धारा 2(1) में खुदकाश्त तथा धारा 2(क) तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(23) में खुदकाश्त एवं धारा 5(25) में लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार यदि भूमि मंदिर की खुदकाश्त में दर्ज होती है तो ऐसी खुदकाश्त की भूमि पर भले ही किसी भी पुजारी या अन्य के माध्यम से काश्त करवाई जाती हो, यह काश्त मंदिर की खुदकाश्त की मानी जाती है और जागीर रिज्यूम होने पर विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार मंदिर को प्राप्त हो जाते है। अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में प्रस्तुत महकमा बंदोबस्त के दस्तावेज पेश किये जिसमें विवादित भूमि की वल्दियत श्री लक्ष्मीनाथनाथी स्थान देह के रूप में दर्ज है। यह स्थिति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कथनों के विपरित स्थिति यानि की अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में वर्णित कथनों की पुष्टि करती है। उल्लेखनीय है कि भगवान की मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है, जिसके अधिकार किसी अन्य को कानूनी रूप से प्रदान नहीं किये जा सकते है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के कालान्तर में मंदिर की भूमि को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम करवा लिया। इस प्रकार यह कार्यवाही नियम विरूद्ध होने के कारण राजस्थान काश्तकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 08/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/11) **मम्मू खां बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिनियम, 1955 की धारा 45(4) व धारा 46 के प्रावधानों के विपरित है और प्रारम्भ से ही शुन्य है। पुजारी/अथवा काश्तकार को मंदिर की भूमि पर स्वयं कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है, न ही वह मंदिर की खातेदारी भूमि का बेचान कर सकता है, ऐसा हस्तांतरण अवैध एवं वर्जित है।

राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अनुसार स्थिति है, वह निम्न है:

जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार: जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकारी को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अंतरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है, से अधिकार प्राप्त रहेंगे और ऐसी भूमि के संबंध में खातेदारी काश्तकारी कहलायेगा।

उक्त प्रावधान के अनुसार अर्हता रखने वाले मूर्ति माफी के काश्तकारी को पुर्नग्रहण की दिनांक से कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हो गये। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 10 अनुसार माफीदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(23) में यथा परिभाषित खुदकाश्त भूमि पर माफीदार अर्थात मूर्ति मंदिर को जो शाश्वत अव्यस्क विधिक पुरूष है, खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये। इस प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में वर्णित अव्यस्क की निर्योग्यता के प्रावधान लागू होते हे। जिसके कारण कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-19 के तहत उपकृषक को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है। यइ स्थिति राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 एवं 25.11.2011 में स्पष्ट की गई। उक्त स्थिति का हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिक्षण से यह पाया गया है कि मेवाड़ स्टेट की जमाबंदी मौजा चित्तौड़गढ़ संवत् 1986 में विवादित आराजीयात खाता 337 में लक्ष्मीनाथजी के नाम दर्ज है। इस प्रकार मेवाड़ स्टेट, गत भू-प्रबंध, हाल भू-प्रबंध तथा राजस्व रेकार्ड में सभी आराजीयात लक्ष्मीनाथ जी स्थान देह की खातेदारी दर्ज रेकार्ड रही है। अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में प्रस्तुत महकमा बंदोबस्त के दस्तावेज पेश किये जिसमें विवादित भूमि की वल्दियत श्री लक्ष्मीनाथनाथी स्थान देह के रूप में दर्ज है। उक्त दस्तावेजों से यह प्रकट आया है कि कथित बेचानकर्ता पुजारी/सेवादार राजस्व रेकर्ड में खडमदार, पट्टेदार एवं खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज नहीं थे, ऐसे में उनको मंदिर के खातेदारी भूमि के अंतरण के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। **अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह साबित करता हो कि पुजारी/सेवादार/बेचानकर्ता मंदिर की भूमि का खातेदार/पट्टेदार/खडमदार था।** इसके विपरित अभिलेख में उनका अंकन सिर्फ पुजारी के नाम से दर्ज है। मंदिर के पुजारी/सेवायत या ट्रस्ट की प्रास्थिति केयरटेकर पुजारी की होती है, उन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उपरोक्त विधिक विवेचन से यह स्पष्ट है कि मंदिर शाश्वत अल्पव्यस्क है, इसलिए उस भूमि पर कोई भी टिनेन्सी या सबटिनेन्सी के अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिये जा सकते है। पुजारी मंदिर का व्यवस्थापक नहीं है, अतः पुजारी को न तो खातेदारी अधिकार प्राप्त होगा और न ही वो सब-टिनेन्सी के अधिकारी किसी को दे सकता है। इस प्रकार विवादित भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि सम्मत प्रतीत होता है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 08/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/11) **मम्मू खां बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मान भी लिया जाये की अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालय समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेश में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा जो निर्णय लिखित बहस के साथ प्रस्तुत किये गये, उसके तथ्य अपीलार्थी के तथ्यों से भिन्न होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त समग्र विवेचन के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं है, अतएवं अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है और और आलौच्य आदेश दिनांक 24.11.2003 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय सुनाया गया। (अंजलि राजोरिया) I.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	